Serial No. 15659 Circle:-:NA

Book No. 4 Deed No. 90

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

T.N-15814

बिहार BIHAR A 835042

Deed No. 90

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Nalanda

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **10/11/2023** by **Ravinandan Prasad Singh (President)**
A Stamp Duty of Rs. **6000**/- and other Fees of Rs. **5520**/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **90** in Book No. **4**, Volume No. **2** on pages from **494** to **508** and has been preserved in total **15** pages in C.D **1** / Year **2023**

बिहार सरकार

Date: 10/11/2023 Token No: 15814/2023

Signature with Date
(**Ajay Kumar Jha**)
Registering Officer, **Nalanda**

10/11/2023

जिला निबंधक का कार्यालय
बिहार शरीफ (नालंदा)

10/11/2023

Scanned with OKEN Scanner

District Registry Office,Nalanda

Token Number 15814 Reg. Year 2023 Serial Number 15659 Deed [illegible]

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Presented By	Ravinandan Prasad Singh (President)					
Sig.	रविनन्दन प्रसाद सिंह 10/11/2023					
Sig.	Ravinandan Prasad Singh (President) रविनन्दन प्रसाद सिंह 10/11/2023					

		Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Beneficiary	K. K. Sewa Trust						
Sig.							
Trustee	Anil Kumar (Secretary)						
Sig.	अनिल कुमार 10/11/2023						
Trustee	Rajesh Kumar (Treasurer)						
Sig.	राजेश कुमार 10-11-2023						
Identified By	Sulekha Kumari						
Sig.	सुलेखा कुमारी 10/11/2023						

रविनन्दन प्रसाद सिंह
10/11/2023

ट्रस्ट / न्यास डीड (दस्तावेज)
के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास)

ट्रस्ट स्थापना विवरण:

1: इस न्यास / ट्रस्ट डीड दस्तावेज को के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास) के नाम से जाना जायेगा। यह न्यास / ट्रस्ट के विभिन्न उद्देश्यों जैसे भारतीय संस्कृति एवं परम्परा का निर्वाह करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में वृद्धि लाना, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, विज्ञान, कृषि विकास आधारित संरचना, भूमि सुधार जल संरक्षण, आजीविका विकास, विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, हस्तकला, हस्तशिल्प के विकास, वृद्धजनों के कल्याण हेतु कार्य करना, ग्राम विकास कार्यक्रम, साहित्य एवं पर्यावरण आदि हैं।

2: ट्रस्ट / न्यास की विधि प्रतिबद्धता:
के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास) भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जा रहा है। इस ट्रस्ट / न्यास पर भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1882 के वे समस्त नियम / उपनियम लागू होंगे जो इस ट्रस्ट के लिए आवश्यक है और न्यायिक विया में व्यावहारिक तथा विधिमान्य है। के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास) उसके अनुपालन में प्रतिबद्ध है।

न्यास / ट्रस्ट के न्यासकर्ता के द्वारा घोषणा की जाती है कि रूपया 201000/- (रुपया दो लाख एक हजार मात्र) से इस ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा ट्रस्ट की अपनी कोई चल-अचल सम्पत्ति वर्तमान में नहीं है तथा साथ ही आगे यह घोषणा की जाती है कि जो भी दान अनुदान, चाहे कृषि या सम्पत्ति के रूप में प्राप्त होगा तथा उसका उपयोग लोक कल्याणकारी, मानव भलाई, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आजीविका विकास आधारित संरचना एवं अन्य कल्याणकारी कार्यों के लिए होगा। प्राप्त दान, अनुदान, धनराशि न्यास / ट्रस्ट को प्राप्त है या प्राप्त होगी, उसका उल्लेख सम्बन्धित रजिस्टर में अंकित होगा तथा बैंक खाते का विवरण दिया जायेगा।

अ) न्यास / ट्रस्ट पर प्रोविजन इन्कम टैक्स 1961 की सभी शर्तें लागू होंगी एवं सम्यक रूप से 12 एए. 80जी., 35 एसी. एफ.सी.आर.ए. आदि में पंजीकृत कराया जायेगा।

जिला निबंधक का कार्यालय
बिहार शरीफ

3: उपरोक्त न्यास / ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी / प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी बनाये गये:--

	नाम	न्यासी / ट्रस्टी पद		
	श्री रविनंदन प्रसाद सिंह, पिता - श्री वीरमणि प्रसाद सिंह, उम्र 39 साल Mr. Ravinandan Prasad Singh, S/O- Mr. Veermani Prasad Singh, Age 39 Years mob- 9555080003 Aadhaar - 2853 1645 7548 PAN - BFDPS3126L	संस्थापक अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी	समाज सेवा / social worker	उत्तरी नालंदा कॉलोनी, रामचंद्रपुर, बिहारशरीफ, नालंदा (बिहार), 803101 Uttari Nalanda Colony, Ramchandra pur, Biharsharif, Nalanda, (Bihar) 803101
	श्री अनिल कुमार, पिता - श्री कैलाश प्रसाद, उम्र 68 साल Mr. Anil Kumar, S/O - Mr. Kailash Prasad, Age 68 Years mob- 9709680919 Aadhaar - 2712 0458 8733 PAN - ETRPK3607K	सचिव / ट्रस्टी	समाज सेवा / social worker	ग्राम+पोस्ट - एकसारी, थाना सिलाव, जिला नालंदा (बिहार) 803117 Vill+PO - Eksari, PS - Silao, Dist - Nalanda (Bihar) 803117
	श्री राजेश कुमार, पिता - स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद, उम्र 47 साल Mr. Rajesh Kumar, S/O - Late Kapil Deo Prasad, Age 47 Years mob - 9334839083 Aadhaar - 3730 9832 5601 PAN - CPDPK9387Q	कोषाध्यक्ष / ट्रस्टी	समाज सेवा / social worker	ग्राम किशुनपुर, पोस्ट रसलपुर, थाना नूरसराय, जिला नालंदा (बिहार) 803114 Vill - Kishunpur, PO - Rasalpur, PS - Nursarai, Dist - Nalanda (Bihar), 803114

जिला निबंधक का कार्यालय बिहारशरीफ (नालंदा)

4: न्यास / ट्रस्ट का नाम के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास)

5: न्यास / ट्रस्ट का स्थाई / पंजीकृत कार्यालय का पता: 52A, प्रथम तल, जिला परिषद् मार्किट, रांची रोड, पोस्ट- बिहारशरीफ, जिला नालंदा (बिहार) 803101। न्यास का अपना जमीन या कार्यालय हो जाने पर बदला जा सकता है।

6: न्यास / निर्माता / संस्थापक / न्यासकर्ता : श्री रविनंदन प्रसाद सिंह, संस्थापक / अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी

7: न्यास / ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र:- सम्पूर्ण भारत होगा

8: न्यासकर्ता / निर्माता / संस्थापक द्वारा उनकी अनुपस्थिति में कार्य करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम व पद श्री अनिल कुमार, सचिव/ ट्रस्टी

9: न्यास / ट्रस्ट का स्वरूप यह ट्रस्ट / न्यास एक चेरिटेबल संस्था है, जो धर्म, जाति, वर्ग,सम्प्रदाय एवं राजनीति से ऊपर उठकर एवं एक गैर लाभकारी संगठन / न्यास के रूप में कार्य करेगा।

10: लाभग्राही हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध आदि समस्त जाति धर्म के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव व सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वागीण विकास के लिए यह ट्रस्ट काम करेगा और सभी को समान लाभ पहुंचाने एवं उन्हें समाज, देश के विकास, राष्ट्रीय एकता एवं संस्कृति जागरूकता, जानकारी देने का प्रयास करेगा तथा मानव विकास में सहायक प्राणियों, वनस्पतियों के विकास व कल्याण में कार्य करेगी।

11: फायदाग्राही व्यक्ति न्यास / ट्रस्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा, बल्कि न्यास / ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों के पूर्ति एवं लोक कल्याण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दान दाताओं, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों, विदेशी अनुदान तथा किसी संस्था अथवा सोसाइटी द्वारा दी गई दान अनुदान या सम्पत्ति के माध्यम से जन कल्याण एवं सामाजिक कार्य किया जायेगा।

12: ट्रस्ट के उद्देश्य:-

1. स्वयं सहायता समूह गठन करना, बैंक से लिकेज करना, ऋण उपलब्ध कराना, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार, कुटीर उद्योग के लिए तैयार करना, उनके उत्पाद की मार्केटिंग, बिक्री कराना, आमदनी में बढ़ोत्तरी कराना, उन्हें हस्त निर्मित, हस्तकला उत्पादों को बड़े माल / बाजार / हाट प्रदर्शनी, मेलों में बिक्री हेतु पहुंचाना।

2. सामाजिक विकास के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायाम शाला, अस्पताल तथा प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, इण्टर एवं सी०बी०एस०सी० बोर्ड, आई०सी०एस० बोर्ड, यू०पी० बोर्ड, महाविद्यालय, अभियांत्रिकी कालेज, मेडिकल कालेज, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हॉस्पिटल, नृत्य, नाट्य, गीत एवं संगीत शिक्षण / प्रशिक्षण केन्द्र, सामाजिक शिक्षा केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा केन्द्र आवासीय

जिला निबंधक का कार्यालय बिहार शरीफ (नालंदा)

विद्यालय, निराश्रित सेवा केन्द्र (अनाथालय), वृद्धालय, मूक बधिर, अनाथालय, दिव्यांगजन विकास केन्द्र, छात्रावास, पशु अस्पताल, गो-सेवा सदन (गोशाला), सांस्कृतिक केन्द्र, कुटीर उद्योग, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, कृषि विज्ञान शिक्षा केन्द्र आदि की स्थापना करना एवं इनका संचालन करना।

3. सामाजिक विकास के लिए विशेषकर इन क्षेत्रों में जैसे भारतवर्ष के निरीह और जरूरतमन्द बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों में अपने उद्देश्यों के निहित भिन्न- भिन्न बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं का संचालन करना एवं उसकी प्रबन्धक समिति का गठन करना तथा प्रबन्ध समितियों का संचालन करेगी।

4. समय-समय पर गोष्ठी, सेमिनार, अधिवेशन, प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा।

5. देश के होनहार प्रतिभाओं, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिज्ञों एवं उत्कृष्ट सेवाओं में ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों को उत्साह वर्धन के लिये नागरिक सम्मान व प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार प्रदान करेगा।

6. ट्रस्ट अपने स्वावलम्बन कार्यक्रमों के संचालन के लिए जनता, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, जिला प्रशासन, राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों व अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से चन्दा दान अनुदान प्राप्त करेगा।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य एवं कृषकों के उत्थान के लिए तथा टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा कृषकों को सब्जी एवं फल प्रसंस्करण के लिए प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना। कृषि आधारित उद्योग के प्रचार-प्रसार एवं स्थापना हेतु उपयुक्त पात्रों का परामर्श एवं प्रशिक्षण व्यवस्था करना।

8. प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आगजनी, महामारी, विपत्तियों के समय भी पीड़ितों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करना। समय समय पर मानव संसाधन विकास हेतु शिक्षा मंत्रालय, राज्य / केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद् स्वास्थ्य विभाग इत्यादि संस्थाओं से सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना।

9. ग्राम्य स्तर पर उत्पादित वस्तुओं हस्तकला, शिल्पकला, सामग्रियों (कताई-बुनाई, सिलाई-कढ़ाई) इत्यादि के निर्माण के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ग्रामीण स्तर पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिकों को जागरूक करना व इस हेतु सर्वे एवं प्रचार-प्रसार करना।

10. सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण तथा भारतीय जीव जन्तु कल्याण एवं वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्धन के लिये कार्य करना तथा संरक्षण एवं सघन वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास एवं प्रचार-प्रसार करना।

जिला निबंधक का कार्यालय

11. विभिन्न प्रकार के सूचनाएं जैसे सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि एकत्र करना तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर इन सूचनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना।

12. परम्परागत नृत्य, नाट्य, संगीत एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मुशायरों, जलसों इत्यादि का आयोजन करना । नृत्य, नाट्य, संगीत आदि सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों, प्रदर्शिनयों, सेमिनारों आदि का आयोजन करना।

13. विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना, जो इस ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्य करेगी तथा दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण एवं पुर्नवास की व्यवस्था करना एवं विकलांग कृत्रिम अंगों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करना।

14. शिक्षा की आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के लिए समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना।

15. आर०सी०एच० कार्यक्रम सिफ्सा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का सम्पादित करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व बच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच आदि की व्यवस्था करना।

16. सामाजिक नीति व अधिकारिता के तहत वृद्धाश्रम, नशा उन्मूलन / तम्बाकू नियंत्रण केन्द्र व अन्य कार्यक्रम का संचालन करना।

17. स्वास्थ्य सम्बन्धी घातक संक्रामक बीमारियों जैसे टी०बी०, एड्स, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह, फाइलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, आकस्मिक बीमारियों जैसे कोविड आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं गरीब असहाय व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

18. उपभोक्ता कल्याण जागरूकता कार्यक्रमों एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं इस हेतु सेमिनार, प्रशिक्षण, रैली आदि कार्यक्रमों का आयोजन / संचालन कराना।

19. महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग बिहार, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं वस्त्र मंत्रालय कपार्ट, नाबार्ड, यूनीसेफ ड्याकरा, सिफ्सा, राज्य एवं केन्द्रीय एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी, राजीव गांधी फाउण्डेशन, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, इडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग बिहार, दिव्यांगजन कल्याण निदेशालय तथा भारत / राज्य सरकार से विभिन्न विभागों, निगमों द्वारा संचालित परियोजना, सेमिनार कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रचार-प्रसार कराना।

20. दैवीय आपदाओं, सूखा, बाद, अग्निकाण्ड, भूकम्प आदि से प्रभावित लोगों की सहायता करने में सहयोग करना।

Scanned with OKEN Scanner

21. अल्पसंख्यक, असहाय, दिव्यांगजन, अनाथ लोगों व निर्धन छात्रों के लिए शासन-प्रशासन द्वारा जनहित व कल्याणकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

22. संस्था द्वारा ग्राम उद्योगों की स्थापना करना व प्रशिक्षण सहित व्यवस्था करना व समाज के नव जवानों को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वावलम्बन की भावना जागृत करना एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन करना।

23. ग्रामीण किसानों, मजदूरों एवं कारीगरों को ग्रामोद्योग संबंधी तकनीकी जानकारी दिलवाना तथा ग्रामोद्योग प्रशिक्षण दिलाकर उनमें आत्म विश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना एवं नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जागरूकता पहुंचाना, फिल्म, डाक्यूमेन्ट्री पर प्रशिक्षण देना।

24. एच. सी. एल. फाउण्डेशन. एस. बी. आई फाउण्डेशन, रतन टाटा ट्रस्ट, अजीम प्रेमजी फाउण्डेशन, ओ० एन०जी०सी० कम्पनी, भेल, गेल आदि एजेन्सियों द्वारा संचालित सी. एस. आर. कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण, सेमिनार, परियोजना कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार एवं संचालन उनके द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार करना।

25. जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के विभिन्न विभागों, परियोजना कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं जन कल्याणकारी एवं विकास से सम्बन्धित कार्यक्रम, प्रशिक्षण, सेमिनार जागरूकता, सर्वे, डाटा इन्ट्री, छोटे निर्माण कार्यों, सप्लाई तथा प्रचार-प्रसार कार्यों में सहयोग एवं संचालन करना।

26. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा, खेलकूद इत्यादि का समय-समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

27. ग्रामीण / शहरी स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास, स्वाथ्य एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों का संचालन करना, सौचालय का निर्माण करना तथा कम लागत से आवास निर्माण संबंधी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुचाना।

28. ऊसर बंजर भूमि सुधार आदि संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करना।

29. महिलाओं / पुरुषों को सिलाई कढ़ाई, बुनाई कटाई, शिल्प कला, हस्तकला, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर आदि को शासन व प्रशासन की मदद से निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उनमें आत्मविश्वास एवं स्वावलम्बन की भावना जागृत करना।

30. समाजिक कार्यक्रमों का निरीक्षण / मूल्यांकन तथा सर्वे / रि-सर्वे विकास स्टडीस आदी कार्य करना।

31. समय समय पर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार में सहयोग करना जैसे इंकम टैक्स के प्रति जागरूकता, राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता, आधार पंजीकरण जागरुकता, राष्ट्रीय टीकाकरण जागरुकता, राष्ट्रीय एकता जागरूकता आदि।

जिला निबंधक का कार्यालय

32. भारत / राज्य सरकार द्वारा संचालित / आयोजित नये जन कल्याण एवं सामाजिक उत्थान से सम्बन्धित कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इण्डिया, मेक इन इण्डिया, हुनर हाट, सीखो और कमाओ का प्रचार-प्रसार करना।

33. ग्रामीण एवं शहरी शिक्षित युवाओं / युवतियों हेतु तकनीकी / गैर तकनीकी कोचिंग सेन्टर, डिप्लोमा प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से उनको आधुनिक एवं डिजिटली प्रशिक्षित करना।

34. समस्त जन कल्याणकारी एवं सामाजिक विकास हेतु वे सभी सरकारी कार्यक्रम परियोजनाओं जो जन कल्याण के हितार्थ हो, भारत / राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित कराना।

13: ट्रस्ट / न्यास की सदस्यता:-

ट्रस्ट / न्यास की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार होगी: -

1. संस्थापक / अध्यक्ष श्री रविनंदन प्रसाद सिंह, इस ट्रस्ट / न्यास के संस्थापक / अध्यक्ष या मुख्य ट्रस्टी हैं। जिन्हें ट्रस्ट / न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है।

2. सचिव ट्रस्टी श्री अनिल कुमार ट्रस्ट / न्यास के सचिव ट्रस्टी होंगे ये संस्थापक / अध्यक्ष ट्रस्टी के कार्यों में सहयोग करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिकृत व्यक्ति के तहत उनकी जिम्मेदारियाँ व कार्यभार सम्भालेगें और ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे तथा अपनी राय व्यक्त करेंगे।

3. कोषाध्यक्ष ट्रस्टी श्री राजेश कुमार जो ट्रस्ट / न्यास के आय-व्यय व लेखा पुस्तकों, चिट्ठा एवं आडीटर की रिपोर्ट पर विचार करेंगे एवं ट्रस्ट के बैंक खातों के संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करेंगे।

4. सदस्य ट्रस्टी जो व्यक्ति ट्रस्ट / न्यास को आजीवन सहयोग प्रदान करना होगा संस्था के कल्याणकारी गतिविधियों व संस्था के हित में काम करेगा वह सदस्य ट्रस्टी के रूप में समय-समय पर संस्थापक / अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी को सहयोग प्रदान करना होगा तथा प्रबन्ध समिति के प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य को रू० 1000/- आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में देना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता धनराशि का सहयोग लिया जा सकता है।

प्रथम प्रबन्धकारिणी समिति / अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्षो के लिए होगा। उसके बाद प्रबन्धकारिणी समिति / अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष के अगले कार्यकाल का चुनाव हर तीन वर्षो के लिए होगा। कोई भी ट्रस्टी अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष के पद पर सिर्फ दो कार्यकाल के लिए होगें। जिसका चुनाव ट्रस्टी की प्रबन्धकारिणी समिति करेगी।

जिला निबंधक का कार्यालय बिहार शरीफ

Scanned with OKEN Scanner

14: ट्रस्टी / न्यासी की सदस्यता समाप्तिः
पागल होने, दिवालिया होने, मृत्यु होने पर या न्यायालय द्वारा सजा पाने पर या त्यागपत्र देने पर सदस्यता समाप्त हो जायेगी। यदि ट्रस्टी / न्यासी सदस्य ट्रस्ट के खिलाफ काम करने पर प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निलम्बित किए जा सकते हैं।

15: प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः-

1. प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से संबंधित नीति विषयक निर्णय लेगी।

2. भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों जैसे सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (MSME) खादी ग्रामोद्योग बोर्ड / आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, बैंकों आदि से ऋण वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

3. चल-अचल सम्पत्ति को खरीदना, ऋण लेना, दान, अनुदान लेना तथा भारत सरकार व राज्य सरकार से वित्तीय सहायता, फण्ड तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करना एवं प्राप्त किया गया सभी तरह से सहयोग व अनुदान राशि का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यक्रमों, सामाजिक उत्थान में प्रयोग करना किसी पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्ति करना, निष्कासन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या उसे निरस्त करना ।

4. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित संस्था में परियोजनाओं के संचालन में समितियों व मुख्य समितियों का गठन करना, उनके पदाधिकारियों को मनोनीत करना व उन्हें अधिकार प्राप्त करना तथा भंग करना व प्रदत्त अधिकारों को वापस लेना।

5. ट्रस्ट / न्यास द्वारा गठित समितियों व उपसमितियों, संस्थाओं व परियोजनाओं, पृथक-पृथक बैंक खातों को समयानुसार चालू करने के लिये पदाधिकारियों को अधिकृत करना व बैंक खाते खुलवाना और उन्हें बन्द करना या परिवर्तन कराना।

6. न्यास / ट्रस्ट की ओर से किसी भी प्रकार का अनुबन्ध या दस्तावेज लिखने के लिए या वाद- विवाद में पैरवी करने के लिये किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करना तथा किसी जांच पड़ताल के लिए ट्रिव्युनल गठन करना और वैधानिक कार्यवाही करना ।

7. वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत तथा आगामी बजट तैयार करना ।

8. ट्रस्ट / न्यासी के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध प्रत्यावेदन पर सुनवाई करना व उस पर निर्णय देना।

9. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट / न्यास के नियम और उपनियम बनाना तथा उनको क्रियान्वित करना ।

10. प्रबन्धकारिणी समिति (ट्रस्ट बोर्ड) सर्वाधिकार सम्पन्न और वह समस्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी जो आवश्यकतानुसार महसूस किये जायेंगे।

16: ट्रस्ट / न्यास, संस्थापक / अध्यक्ष ट्रस्टी के कर्तव्य एवं अधिकार:-
संस्थापक / अध्यक्ष ट्रस्ट / न्यास के मुख्य कार्यकारी होंगे जो ट्रस्ट / न्यास के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होंगे न्यासकर्ता ही ट्रस्ट / न्यास की प्रथम ट्रस्टी होंगे। ट्रस्ट / न्यास के किसी भी ट्रस्ट सदस्यों द्वारा न्यास के प्रति असहयोग या पागल होने पर, दिवालिया होने, मृत्यु होने, न्यायालय द्वारा सजा पाने पर ट्रस्ट / न्यास की सदस्यता से मुक्त कर सकते हैं। ट्रस्ट / न्यास का प्रशासनिक कार्य सेक्रेटरी ट्रस्टी के सहयोग से सम्पादित होगा एवं ट्रस्ट / न्यास के संचालन एवं नियंत्रण का सर्वाधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है। किसी ट्रस्टी न्यासी की पूर्ति के लिए मनोनयन करना, कर्मचारी की नियुक्ति करना, वेतन वृद्धि करना एवं बहाली करना, ट्रस्ट / न्यास के समस्त वैधानिक कागजातों एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना एवं ट्रस्ट / न्यास के चल-अचल सम्पति को स्थानान्तरित करना (प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन के बाद), बैंक खातों का संचालन करना एवं ट्रस्ट / न्यास के प्रबन्धकारिणी के समस्त प्रस्तावों को कार्य रूप में प्रस्तावित करना तथा समस्त प्रपत्रों, प्रस्तावों पर हस्ताक्षर करना।

17: सचिव ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य:-
सचिव प्रबन्धकारिणी समिति में एजेण्डा के अनुसार अपने विचार रखेंगे और निर्णय लेने में प्रबन्धकारिणी समिति / अध्यक्ष की मदद करेंगे तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अधिकृत व्यक्ति के तहत उनकी जिम्मेदारियाँ व कार्यभार सम्भालेगें। ट्रस्ट के बैंक खातों का संचालन में अध्यक्ष को सहयोग करना।

18: कोषाध्यक्ष ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य:-
कोषाध्यक्ष ट्रस्टी ट्रस्ट / न्यास के द्वारा अर्जित आय-व्यय का हिसाब किताब रखना, लेखा पुस्तकों को ऑडिट करना एवं ट्रस्टियों के समक्ष प्रस्तुत करना, ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को अध्यक्ष के निर्देशानुसार देखना व निस्तारण करना तथा अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करना वार्षिक बजट तैयार करके वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करना व अध्यक्ष से स्वीकृत कराना ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु अध्यक्ष के निर्देशानुसार धन संग्रह करना ट्रस्ट के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु किसी भी प्रकार का ऋण लेना अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकार, गैर सरकारी व विदेशी अनुदान का निष्पादन करना अन्य सभी कार्य जो अध्यक्ष के द्वारा सौंपे जाय।

19: सदस्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य:-
ट्रस्ट / न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं की समिति उप समितियों एवं पदाधिकारियों के रूप में मनोनीत किये जायेगें और ये सौंपे गये दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होंगें। बैठक गणपूर्ति सभी बैठकों में दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जायेगा और समस्त कार्यवाही प्रस्ताव पारित किये जायेंगे निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, समान मत पड़ने की स्थिति में अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी का मत निर्णायक होगा।

20: ट्रस्ट / न्यास के सामान्य नियम:-

1. ट्रस्ट / न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति पाँच सदस्यीय होगी जिसमें अध्यक्ष / मुख्य ट्रस्टी- 1, सचिव- 1, एवं कोषाध्यक्ष-1 होंगे जो ट्रस्ट / न्यास के संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे। संस्थापक / अध्यक्ष एवं मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी होंगे।

2. ट्रस्ट की कार्यवाही के प्रारम्भ में संस्थापक / अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर होंगे व अन्त में अन्य उपस्थित सदस्य ट्रस्टीयों के हस्ताक्षर होंगे।

3. प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व एजेण्डा द्वारा प्रमाणित प्रति द्वारा दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक बैठक 24 घन्टे में बुलाया जा सकता है।

4. प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्तावित एजेण्डा में यदि कोई प्रस्ताव नहीं है और उसको समिति में रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से रखा जा सकता है।

5. ट्रस्ट / न्यास के दस्तावेजों में संशोधन ट्रस्ट / न्यास यदि यह महसूस करता है कि इसके दस्तावेज की किसी धारा में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन आवश्यक है तो वह संस्थापक / अध्यक्ष के साथ कार्कयकारणी सदस्य से कम से कम दो तिहाई सदस्यों के साथ मिल कर कर सकता है।

6. ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, निगमों, एजेन्सियों आदि में यदि कोई स्थायी परियोजना, योजना, कार्यक्रम, ट्रेनिंग सेन्टर एकेडमिक सेन्टर, स्कूल, मदरसा आदि की स्थापना व संचालन हेतु आवेदन किया जाता है और उन विभागों में यदि यह आवश्यक हो कि उस विभाग का भी कोई व्यक्ति पदेन सदस्य / संयोजक के रूप में उस योजना में शामिल किया जाये तो उसका पालन किया जायेगा, ट्रस्ट को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

21: ट्रस्ट / न्यास का कोष:-

ट्रस्ट / न्यास अपने किसी निजी या अपने अधीनस्थ किसी संस्था या परियोजना का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में प्रबन्धकारिणी समिति के प्रस्ताव द्वारा पारित करके संस्थापक / अध्यक्ष व सचिव ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षरों से खाता खुलना एवं संचालित कर सकता है तथा कोई भी धन संस्थापक / अध्यक्ष के साथ सचिव ट्रस्टी व कोषाध्यक्ष ट्रस्टी में से किसी एक के हस्ताक्षर से निकाला जायेगा। आवश्यकतानुसार उन खातों में परिवर्तन कर सकता है एवं चयनित पदाधिकारी का नाम परिवर्तित करने का अधिकार संस्थापक / अध्यक्ष को है। ट्रस्ट / न्यास का अपना निजी खाता होगा एवं विदेशी सहायता के लिए एक अलग से खाता परिचालित करना होगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर ही संचालित हो सकेगा।

जिला निबंधक का कार्यालय
बिहार शरीफ (नालन्दा)

22: ट्रस्ट / न्यास के रिकार्ड एवं अभिलेख:-
सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा रजिस्टर कार्यवाही रजिस्टर, कैश बुक, लेजर बाउचर, फाइल, सदस्यता फाइल, रसीद वही पासबुक, चेक बुक, निरीक्षण रजिस्टर उपस्थिति रजिस्टर वेतन भुगतान रजिस्टर आदि ट्रस्ट के रिकार्ड होंगे।

23: अनुशासनात्मक कार्यवाही:-
ट्रस्ट / न्यास के तथा ट्रस्ट के अधीनस्थ किसी संस्था समिति के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी समिति के समर्थन से अध्यक्ष करेगा।

24: वाद विवाद / प्रतिवाद:-
समस्त प्रकार के वाद तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र बिहारशरीफ रहेगा तथा ट्रस्ट / न्यासी दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद-विवाद प्रतिवाद ट्रस्ट के पद नाम से होंगे व्यक्तिगत नाम से नहीं और ट्रस्ट इस प्रकार के वाद-प्रतिवाद के पैरवी के लिए किसी व्यक्तियों / पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

25: परियोजनाओं की संचालन में ट्रस्ट / न्यास की व्यापकता:-
ट्रस्ट / न्यास सामाजिक लाभ के लिये कार्यक्रमों और परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर पर कर सकता है, जो कि भारतवर्ष के किसी प्रान्त, राज्य, जिले, तहसील व ग्रामों में चलाई जायेगी।

26: पदों का सृजन:-
ट्रस्ट / न्यास आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिये आवश्यकत पदों का सृजन कर सकता है और उन पर सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उसे उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकता है।

27: ट्रस्ट / न्यास का विस्तार:-
के के सेवा न्यास (कुर्मी कल्याण सेवा न्यास) अपने कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त या जिले में अपने क्षेत्रीय कार्यालय, कैम्प कार्यालय / प्रशिक्षण केन्द्र, परियोजना कार्यालय स्थापित कर सकेगा, परन्तु पंजी0 कार्या0 का पता कभी भी नालंदा जिला के अतिरिक्त परिवर्तित नहीं किया जायेगा तथा ट्रस्ट का नाम भी कभी परिवर्तित नहीं होगा।

28: लेखा-जोखा (आडिट):-
आर्थिक वर्ष के उपरान्त न्यास / ट्रस्ट अपने लेखा-जोखा को चुस्त दुरुस्त और उसकी आडिट भी करायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अपने खर्चे से ट्रस्ट / न्यास के पदाधिकारियों, संस्थापक / अध्यक्ष की सहमति से आडिट करायेगा तथा उसका लेखा जोखा भी रखेगा तथा चार्टेड एकाउण्टेन्ट (सी०ए०) की मदद ले सकता है तथा ट्रस्ट की वैलेन्स शीट, आय एवं व्यय प्राप्ति एवं देय का वार्षिक ऑडिट मान्यताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा।

बिहारशरीफ (नालन्दा)

29: वर्तमान में इस ट्रस्ट में उक्त धनराशि 201000/- के अतिरिक्त अन्य कोई चल व अचल सम्पत्ति सन्निहित नहीं है।

30: न्यास की सम्पत्ति का प्रयोग / दुप्रयोग कोई भी न्यासी निजी तौर अपने सगे सम्बन्धियों के लिये नहीं कर सकेगा, न्यास पर किसी भी न्यासी / ट्रस्टी संरक्षक मण्डल के सदस्यों, संस्थापक सदस्यों या सभी प्रकार के सदस्यों व्यक्तिगत कर्ज एवं व्यक्ति ऋणों की अदायगी की जिम्मेदारी नहीं होगी।

हम एतद्द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर कर इस न्यास विलेख संशोधन सहित निष्पादन करते है।

गवाहान:-

पहचानकर्ता - सुलेखा कुमारी
पिता सुनील कुमार, ग्रा० शिवपुरी
रामचन्द्रपुर, थाना - पटेढ़ी
जिला - नालन्दा
दिनांक - 10/11/2023
आ० नं० 3312 1131 3418

Drafted by :-
सही शिवनन्दन प्रसाद सिंह
10/11/2023

(1) विलेख जाँच........................ 10/11/023

(2) खेसरा पंजी से मिलान........................

(3) मूल्याकंन जाँच........................

(4) रोक सूची, मिलामी एवं सिलिंग सूची से मिलान........................

(5) स्थल जाँच........................

जिला निबंधक का कार्यालय
बिहार सरकार

Endorsement of Certificate of Admissibility

[...]ble under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian [...] Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs.	6000/-	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs.	5000/-
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	Rs.	0/-	Amt.paid through Bank Challan	Rs.	6520/-

Registration Fee

FEE PAID

A1	4020	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0
A10	0	E	1000	J1	0	K2	0	Na	0
B	0	H1a	0	J2	0	LI	0	TOTAL-	5020

LLR + Proc Fee

LLR	0
Proc.Fee	0
Total	0

Service Charge: 500

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 5520

Registering Officer
Nalanda

Date: 10/11/2023

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Nalanda on Friday, 10th November 2023 by Ravinandan Prasad Singh (President) Veermani Prasad Singh by profession Others. Status -

रविनन्दन प्रसाद सिंह
10/11/2023

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:10/11/2023**

जिला निबंधक का कार्यालय ... बिहार ...

Registering Officer
Nalanda

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sulekha Kumari' age '39' Sex 'M', 'D/O Sunil Kumar', resident of 'At-Shivpuri, Ramchandrapur, Biharsharif, Nalanda'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Nalanda

Date : 10/11/2023

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Nalanda in Book 4 Volume No. 2 on pages on 494 -508, for the year 2023 and stored in CD volume No. CD-1 year 2023 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Nalanda

Date : 10/11/2023

Token No. : 15814 **Year :** 2023 **S.No. :** 15659 **SCORE Ver.4.1** **Deed No . :d No . :** 90

Scanned by

Scanned with OKEN Scanner